To issue NOC from the Forest Department

1. **SH. AMARJEET DHANDA (Julana)**: Will the Forest Minister be pleased to state:-

   a) whether it is a fact that an application is lying pending with the Forest Department for the past year and a half (03.03.2021) for taking NOC in order to repair the road from village Julana to Rindhana via Lizwana Kalan of julana Assembly Constituency due to which the repairing work has not been started so far whereas the funds have already been released from the PWD Department; and

   b) if so, the time by which said NOC is likely to be issued by the Forest Department so that the said repairing work may be executed?

Sh. Kanwar Pal, Forest Minister, Haryana

a) Proposal for diversion of forest area for widening and strengthening of Julana Lizwana Kalan to Rindhana Road under Jind Forest Division is pending for NOC.

The Government of India has granted In-Principle approval of above project on 22-12-2022. Now the User Agency, PWD (B&R) Department has to submit the compliance report of In-principle approval for granting final NOC by Government of India.

b) Timeline for issuing final NOC depends upon the compliance report to be uploaded by User Agency. As and when User Agency uploads compliance report on PARIVESH Portal, Forest Department will immediately send the proposal to Govt. of India for issuing final NOC.

वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना

1. **श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना)** :– क्या वन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सत्य है कि जुलाना से लिजवाना कलां होते हुए रिंधाना तक सड़क की मुरम्मत संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पिछले डेढ़ वर्श (03.03.2021) से वन विभाग के पास लंबित पड़ा है, जिसके कारण मुरम्मत का कार्य प्रारंभ नही किया जा सका है जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा रा‍ि ा पहले ही जारी की जा चुकी है?

(ख) यदि हां तो वन विभाग द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है ताकि उक्त मुरम्मत कार्य का निशपादन किया जा सकें?

श्री कंवरपाल, वनमंत्री, हरियाणा

उत्तर (क) :– जुलाना से लिजवाना कलां होते हुए रिंधाना तक सड़क की मुरम्मत व चौड़ा करने के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव लंबित है।

भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 22–12–2022 को जारी की गई है। अब प्रयोक्ता ऐजेंसी,लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) का भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उत्तर (ख) :– उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की समय सीमा प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा सैद्वांतिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट पर निर्भर करती है। जैसे ही प्रयोक्ता ऐजेंसी से परिवेश पोर्टल पर अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होगी, वन विभाग द्वारा तुरन्त भारत सरकार को अंतिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।